पत्रांक–10 / स्थापना व्यय आ0–20 / 2025 56/311 रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
देवघर, लोहरदगा, जामताड़ा, पाकुड़,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं प0 सिंहभूम, चाईबासा।

राँची, दिनांक– 26-08-2025

विषय :– स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, लघु शीर्ष–115–अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि, उप शीर्ष–03–सर्किट भवन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रू0 ₹56,62,000/– (रूपये छप्पन लाख बासठ हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत उपायुक्त, देवघर के पत्रांक–380/नजा., दिनांक–26.06.2025, उपायुक्त, जमशेदपुर के पत्रांक–716/नजा., दिनांक–28.06.2025, उपायुक्त, चाईबासा के पत्रांक–378/स्था., दिनांक–13.06.2025, उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक–200/नजा., दिनांक–07.07.2025, उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक–216/नजा., दिनांक–19.06.2025 तथा उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक–262/नजा., दिनांक–12.06.2025 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में विभिन्न इकाई में कुल ₹56,62,000/– (रूपये छप्पन लाख बासठ हजार) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है:–

क्र0	इकाई / जिला	डी0डी0ओ0 कोड	मजदूरी	दूरभाष	अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण	विद्युत व्यय	कुल
1	देवघर	DGRDADB 06	300000	10000	0	100000	410000
2	लोहरदगा	LOHLDR 006	0	0	400000	150000	550000
3	जामताड़ा	J MTDAD 008	0	0	1500000	0	1500000
4	जमशेदपुर	JSRDAD 001	0	0	0	450000	450000
5	चाईबासा	SGHDAD 017	0	0	2000000	0	2000000
6	पाकुड़	PKRDADA 07	0	0	752000	0	752000
		कुल	**300000**	**10000**	**4652000**	**700000**	**5662000**

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिलों के संबंधित DDO Code में दिया गया है।

3. दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु मजदूरी इकाई में राशि आवंटित की जा रही है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं 338/बजट, दिनांक–28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में

कृ0पृ0उ0

वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

6. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

7. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. राशि निकासी से संबंधित विपत्र पर शीर्षादि एवं माँग संख्या–40 के अतिरिक्त विपत्र कोड का इकाईवार उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।

10. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।

11. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

25/8

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 56/आ॰ राँची, दिनांक– 26-08-2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/8/25

सरकार के सचिव।

d/all section/sec 10/allotment (lalit)